



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

लखनऊ, सोमवार, 15 नवम्बर, 2021

कार्तिक 24, 1943 शक सम्वत्

कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश
चतुर्थ तल, विकास भवन, जनपथ, हजरतगंज, लखनऊ-226001

संख्या 1711/सी0ई0ओ0-1-145/1-2006 TC V

लखनऊ, 15 नवम्बर, 2021

अधिसूचना

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 159 (1) के अधीन निम्न प्राधिकारियों से अनुरोध किया जाता है कि वह विधान सभा सामान्य निर्वाचन, 2022 के संदर्भ में विभिन्न कर्तव्यों के निर्वहन हेतु आवश्यक संख्या में कर्मचारिवृन्द राज्य के लोक सभा निर्वाचन क्षेत्रों के रिटर्निंग ऑफिसर की मांग पर उपलब्ध करायेंगे :-

- (i) हर स्थानीय प्राधिकारी;
- (ii) केन्द्रीय, प्रान्तीय या राज्य अधिनियम द्वारा स्थापित या निगमित हर विश्वविद्यालय;
- (iii) कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 617 में परिभाषित कोई सरकारी कंपनी;
- (iv) ऐसी कोई अन्य संस्था, समुत्थान या उपक्रम, जो केन्द्रीय, प्रान्तीय या राज्य अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित किया गया है या जो केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः उपलब्ध करायी गयी निधियों द्वारा पूर्णतः या सारतः नियंत्रित या वित्तपोषित है।

आदेश से,
अजय कुमार शुक्ला,
सचिव।

No. 1711-C.E.O.-1-145/1-2006 (V)

Dated Lucknow, November 15, 2021

In pursuance of section 159 (1) of the Representation of the People Act, 1951, Authorities mentioned below are requested to make available to any Returning Officer of Vidhan Sabha Constituency of the State such Staff as may be necessary for the performance of various duties in connection with Vidhan Sabha General Election-2022 :-

- (i) every local authority;
- (ii) every university established or incorporated by or under a Central, Provincial or State Act;
- (iii) a Government Company as defined in section 617 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956);
- (iv) any other institution, concern or undertaking which is established by or under a Central, Provincial or State Act or which is controlled, or financed wholly or substantially by funds provided, directly or indirectly, by the Central Government or a State Government.

By order,

AJAY KUMAR SHUKLA,

Sachiv.

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 411 राजपत्र-2021-(921)-588 प्रतियां-(कम्प्यूटर / टी० / ऑफसेट) ।

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 34 सा० निर्वाचन-2021-(922)-1,000 प्रतियां-(कम्प्यूटर / टी० / ऑफसेट) ।